

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 27-03-2018 के आश्वासन)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 27-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
499	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.456) दि. 27-03-2018 (श्री दुर्गालाल विजय) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	श्योपुर जिले की तहसील बड़ौदा के पटवारी हल्का नं. 15, 17 एवं 18 के ग्राम नयागांव, ढोढपुर एवं लाथ के कृषकों की वर्ष 2016 में चक्रवाती तूफान से धान की बीमित फसल नष्ट होने पर पात्र कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान किया जाना ।	उप संचालक कृषि श्योपुर एवं जिला सहकारी बैंक मर्यादित मुरैना से प्राप्त घोषणा पत्रों के आधार पर पुनः क्षतिपूर्ति का आंकलन कर पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जावेगा ।		
500	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.1425) दि. 27-03-2018 (श्री सुशील कुमार तिवारी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषकों को खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त बीमित फसलों का पात्र कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान किया जाना ।	जिलों से संशोधित बोया गया रकबा प्राप्त होने पर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति का नवीन आंकलन किया जा रहा है । रबी 2016-17 मौसम हेतु दावा भुगतान प्रक्रियाधीन है ।		
501	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.5890) दि. 27-03-2018 (श्री लाखन सिंह यादव) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	ग्वालियर जिले में रबी एवं खरीफ में वर्ष 2016 एवं 2017 में प्रधानमंत्री बीमा योजना अंतर्गत बीमित फसलों के हुए नुकसान की फसल बीमा राशि भुगतान किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण किया जाना ।	प्राप्त आवेदनों में से किसानों को बीमा दावे के भुगतान के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
502	अतारंकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.1884) दि. 27-03-2018 (श्री जतन उईके) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	छिंदवाड़ा जिले में खरीफ 2017 के लिए भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को पात्रता अनुसार भावांतर राशि का शेष भुगतान शीघ्र किया जाना ।	जिन किसानों को पात्रता अनुसार भावांतर राशि का भुगतान शेष है उन प्रकरणों में पोर्टल पर किसान का नाम, उनके द्वारा विक्रय की गई फसल का नाम, मात्रा, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड, रकबा आदि तकनीकी त्रुटियों के सुधार एवं सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तदोपरांत उन्हें भावांतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
503	अतारांकित प्रश्न सं.40 (प्रश्न क्रं.4451) दि. 27-03-2018 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी "स्थायी कर्मियों को विनियमित" करने के शासन स्तर पर विचाराधीन प्रस्ताव का शीघ्र परीक्षण किया जाकर निराकरण किया जाना ।	(1) निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को "स्थायी कर्मियों को विनियमित" करने के बीज निगम के प्रस्ताव का शासन स्तर पर परीक्षण एवं विचारण हेतु प्रक्रियाधीन हैं । (2) जी हों । कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
504	अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्रं.5620) दि. 27-03-2018 (श्री शैलेन्द्र पटेल) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	सीहोर जिले की कृषि उपज मंडी इछावर में 50 मी.टन क्षमता वाला विद्युत तोल कांटा लगाया जाना ।	तौलकांटा लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 27-03-2018 के आश्वासन)

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 27-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
505	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.3078) दि. 27-03-2018 (प्रो. संजीव छोटेलाल उइके) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	मण्डला जिला अंतर्गत नगर परिषद भुआ-बिछिया क्षेत्रान्तर्गत एन.एच.12 राष्ट्रीय राजमार्ग में बंजारी से भंडगा तक दोनों ओर नल-जल योजना की मेन पाईप लाईन बिछाने में की गई अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	कलेक्टर मंडला के द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जांच दल का गठन किया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है।		
506	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.1275) दि. 27-03-2018 (कुंवर हजारीलाल दांगी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत नगर छापीहेडा एवं माचलपुर में विश्राम गृह निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी जाना।	जी हों। प्रकरण परीक्षणाधीन है।		
507	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.2717) दि. 27-03-2018 (श्री शैलेन्द्र जैन) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	सागर शहर का क्षतिग्रस्त आंतरिक बायपास भोपाल रोड, बीना रोड एवं एन.एच. 26 राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई में वृद्धि एवं पुनः मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाना।	बजट वर्ष 2018-19 में शामिल प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
508	अतारांकित प्रश्न सं.70 (प्रश्न क्रं.5294) दि. 27-03-2018 (श्रीमती ममता मीना) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला रायसेन में 11 मील से 34 मील तक मार्ग के कार्य के अनुबंध क्र. 144/डी/2012-13 के पेज क्र. 115 में ठेकेदार के फर्जी हस्ताक्षर कर पेज बदलने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	प्राप्त शिकायत की जांच हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार अग्रिम कार्यवाही निर्धारित की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
509	अतारांकित प्रश्न सं.71 (प्रश्न क्रं.5295) दि. 27-03-2018 (श्रीमती ममता मीना) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	लोक निर्माण विभाग संभाग रायसेन अंतर्गत अनुबंध क्र. 122/डी/2012-13 के पेज क्र. 115 को संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ठेकेदार के फर्जी हस्ताक्षर बदले जाने की जांच एवं कार्यवाही तथा अनुबंध क्रमांक 141/डी/2012-13 में एवं एन.आई.डी. में परफारमेंस अवधि 18 माह समाप्ति पश्चात् ठेकेदार की परफारमेंस वापिस किये जाने के संबंध में प्रचलित जांच समय-सीमा पूर्ण की जाकर निराकरण किया जाना ।	(1) अनुबंध में पृष्ठ बदलने के संबंध में जांच की जा रही है । जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । (2) जांच में है एवं जांच उपरांत ही प्रकरण में निर्णय लिया जायेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 27-03-2018 के आश्वासन)

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 27-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
510	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.5590) दि. 27-03-2018 (श्रीमती ऊषा चौधरी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	सतना जिले के विकासखण्ड रामपुर बघेलान अंतर्गत शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिजहटा के प्रभारी प्राचार्य के प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जी हों। जांच उपरांत श्री घनश्याम दास वर्मा वरिष्ठ अध्यापक को दोषी पाया गया। (2) संलग्न परिशिष्ट अनुसार जारी आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।		
511	तारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.5931) दि. 27-03-2018 (श्री जय सिंह मरावी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	शहडोल जिले की कन्या माध्यमिक शाला रसमोहनी को मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में कन्या हाईस्कूल में उन्नयन किया जाना।	कन्या माध्यमिक शाला रसमोहनी को कन्या हाई स्कूल में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
512	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.3010) दि. 27-03-2018 (एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. अम्बाह, जिला मुरैना में व्यायाम निर्देशक के पद पर पदस्थ श्री दिनेश चन्द्र बंसल को द्वितीय क्रमोन्नति दिये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर क्रमोन्नति का लाभ शीघ्र दिया जाना।	उक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
513	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.113 (प्रश्न क्रं.5904) दि. 27-03-2018 (डॉ. मोहन यादव) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	उज्जैन दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूलों का उन्नयन किया जाना।	शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
514	अतारंकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.4725) दि. 27-03-2018 (श्रीमती शीला त्यागी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	दिनांक 02.4.2003 से 24.11.2003 की अवधि में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा एवं अपर संचालक शिक्षा/प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई नियुक्तियों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	नियुक्तियों की जांच हेतु कलेक्टर रीवा को लिखा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
515	अतारंकित प्रश्न सं.61 (प्रश्न क्रं.5084) दि. 27-03-2018 (श्रीमती पारूल साहू केशरी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	सागर जिले के राहतगढ़ नगर की शासकीय उर्दू प्राथमिक शाला का मिडिल स्कूल में उन्नयन किया जाना।	उर्दू प्राथमिक शाला का उर्दू माध्यमिक शाला में उन्नयन विचाराधीन है।		
516	अतारंकित प्रश्न सं.67 (प्रश्न क्रं.5148) दि. 27-03-2018 (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक/शिक्षकों को प्राप्त वेतनमान के आधार पर मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में पदनाम दिया जाना।	(1) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
517	अतारंकित प्रश्न सं.83 (प्रश्न क्रं.5437) दि. 27-03-2018 (श्री निशंक कुमार जैन) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	विदिशा जिला अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान न किये जाने के संबंध में सी.एम. हेल्प लाईन में दर्ज शिकायत का निराकरण शिकायतकर्ता छात्रों को स्थानीय निधि से अनियमित छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण में जांच के निर्देश दिये गये है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		
518	अतारंकित प्रश्न सं.90 (प्रश्न क्रं.5495) दि. 27-03-2018 (श्री मुकेश नायक) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश के अतिथि शिक्षकों हेतु संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पद म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 के अनुसार आरक्षित किया जाना।	संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पद ऐसे अतिथि शिक्षकों हेतु जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक वर्षों एवं न्यूनतम 200 दिवस कार्य किया हो के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
519	अतारंकित प्रश्न सं.98 (प्रश्न क्रं.5600) दि. 27-03-2018 (श्री योगेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	सुश्री बबीता मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक तत्कालीन प्राचार्य शास.कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला राजगढ़ के विरूद्ध जांच समिति की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर, राजगढ़ को दिये अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं की विस्तृत जांच कराकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	सुश्री बबीता मिश्रा के संबंध में संचालनालय द्वारा कलेक्टर राजगढ़ को दिनांक 01.03.2018 को समस्त बिन्दुओं की विस्तृत जांच कराकर समुचित कार्यवाही हेतु लिखा गया है। जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		
520	अतारंकित प्रश्न सं.99 (प्रश्न क्रं.5601) दि. 27-03-2018 (श्री योगेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ में एकाउन्टेन्ट के पद पर पदस्थ श्री प्रदीप चौहान का स्थानांतरण अन्यत्र किये जाने के उपरांत भी कार्यमुक्त नहीं किये जाने एवं नियम विरूद्ध वेतन आहरण किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
521	अतारंकित प्रश्न सं.119 (प्रश्न क्रं.5783) दि. 27-03-2018 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	रतलाम जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की भूमियों का सीमांकन कराया जाना।	(1) 135 प्राथमिक एवं 48 माध्यमिक विद्यालयों का सीमांकन किया जाना है। (2) विद्यालयों में सीमांकन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 27-03-2018 के आश्वासन)

सहकारिता विभाग

दिनांक: 27-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.3342) दि. 27-03-2018 (डॉ. रामकिशोर दोगने) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	अवंति मिल वर्कर्स को-ऑपरेटिव सनावद को प्रदाय ऋण में संस्था के स्टॉक पत्रक अनुसार स्टॉक सही नहीं पाये जाने की जांच एवं कार्यवाही ।	जांच हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता, संभाग इंदौर को निर्देशित किया गया है ।		
523	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.31 (प्रश्न क्रं.4201) दि. 27-03-2018 (डॉ. गोविन्द सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	(1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर द्वारा वितरित संदिग्ध डूबत ऋणों की वसूली की जाना एवं बैंक का वर्ष 2007 से 2011 तक की अवधि में ऋण वितरण की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से कराया जाना । (2) बडामलहरा बैंक के एवं धुवारा में हुए घोटालो के संबंध में बैंक के पूर्व अध्यक्षो के समय की जांच करायी जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना । (3) प्रकरण में वसूली अधिकारी द्वारा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराई जाने की मांग एवं कार्यवाही की जाना ।	(1) उपायुक्त सहकारिता जिला छतरपुर से बैंक के संदिग्ध एवं डूबत ऋणों की समीक्षा कर कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रतिवेदन चाहा गया था, पत्र दिनांक 07.05.2014 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर से संदिग्ध ऋणों की वसूली न होने के संबंध में अभिमत एवं विस्तृत प्रतिवेदन चाहा गया था तथा पत्र दिनांक 06.04.2015 से संयुक्त आयुक्त सहकारिता, सागर संभाग, सागर से प्रकरण में कार्यवाही कर अभिमत सहित प्रतिवेदन चाहा गया था । (2) चाहे गये प्रतिवेदनों में यदि कोई तथ्य इस संबंध में पाये जाते हैं, तो जांच कराई जा सकेगी । (3) जी हों । वसूली अधिकारी द्वारा उपायुक्त सहकारिता, जिला छतरपुर को पत्र लिखा गया था । उत्तरांश (ख) अनुसार उपायुक्त सहकारिता, जिला छतरपुर से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्णय लिया जा सकेगा ।		
524	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.118 (प्रश्न क्रं.5926) दि. 27-03-2018 (श्री बाबूलाल गौर) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कल्पना नगर कॉलोनी के रहवासियों को आवंटित भू-खण्डों का मालिकाना हक दिया जाना ।	राजस्व विभाग में प्रकरण विचाराधीन है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525	अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्रं.4264) दि. 27-03-2018 (श्री ठाकुरदास नागवंशी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	रेवा ईट भट्टा सहकारी समिति मर्या. आमपुरा, जिला होशंगाबाद संस्था में उपविधि अनुसार सदस्यों का चयन एवं पंजीयन नहीं कराये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) जांच के निर्देश दिये गये है। (2) जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के अधीन।		
526	अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.5701) दि. 27-03-2018 (श्री सुन्दरलाल तिवारी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	छतरपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2013 से 2017 की अवधि में कार्यरत सेवा सहकारी समितियों द्वारा कर्मचारी सेवा नियम के प्रावधानों के विपरीत की गई नियुक्तियों को निरस्त किया जाना एवं संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कर्मचारी सेवा नियम के प्रावधानों के विपरीत की गई नियुक्तियों को निरस्त करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश उपायुक्त सहकारिता, जिला छतरपुर को दिये गये।		